

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि. 115.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में सहायक निदेशक (प्रशासन), समूह 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ .—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, सहायक निदेशक (प्रशासन), (समूह 'क' पद) भर्ती नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पदों की भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता .— वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाए कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति .— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके, तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति .— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पद संख्या	वर्गीकरण	वेतन मैट्रिक्स में स्तर	चयन या अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक (प्रशासन)	01* (2021) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क' राजपत्रित, अनुसचिवीय।	वेतन मैट्रिक्स में स्तर.11 (67700-208700/- रु.)	चयन	लागू नहीं होता।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिबीक्षा की अवधि, यदि कोई हो	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(7)	(8)	(9)	(10)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्ति के लिए 2 वर्ष	100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके ना हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा	यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा।
(11)	(12)	(13)
<p>प्रोन्नति:</p> <p>न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में प्रशासनिक अधिकारी जिन्होंने वेतन मैट्रिक्स में स्तर.7 (44900-142400/- रु) में नियमित आधार पर नियुक्ति के पश्चात् सात वर्ष की सेवा की है तथा सुसंगत क्षेत्र में, सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबंध संस्थान द्वारा संचालित 2-4 सप्ताह का प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरी की है।</p> <p>टिप्पण 1 : जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिबीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।</p>	<p>समूह 'क' विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>i.) अध्यक्ष या सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग - अध्यक्ष;</p> <p>ii) निदेशक - सह - मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य;</p> <p>iii) निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय -सदस्य।</p> <p>समूह 'क' विभागीय पुष्टि समिति (सीधी भर्ती के पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) जिसमें निम्नलिखित होंगे:-</p> <p>i) निदेशक - सह - मुख्य न्यायालयिक वैज्ञानिक, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय -अध्यक्ष;</p> <p>ii) निदेशक, केंद्रीय न्यायालयिक विज्ञान प्रयोगशाला, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय - सदस्य;</p> <p>iii) निदेशक या उप सचिव, गृह मंत्रालय -सदस्य।</p>	<p>प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श आवश्यक है।</p>

<p>प्रतिनियुक्ति : केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्रों के ऐसे अधिकारी:</p> <p>(क) (i) मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर अनुरूप सदृश पद धारण किए हुए हैं; या</p> <p>ii) वेतन मैट्रिक्स स्तर 10 , 56100-177500/- रु या समतुल्य में पाँच वर्ष की नियमित सेवा की हो; और</p> <p>(ख) निम्नलिखित शैक्षिक अहर्ताएं रखते हों :-</p> <p>i) किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में स्नातक की डिग्री।</p> <p>ii) सरकारी कार्यालय/ पब्लिक सेक्टर उपक्रमों / संघ राज्यक्षेत्रों / स्वायत्त / कानूनी संगठन / विश्वविद्यालयों / मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थानों के अधिकारी जो स्थापन, प्रशासन और लेखा के क्षेत्र में पाँच वर्ष का अनुभव रखते हों।</p> <p>टिप्पण 2 : प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अंतर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में उस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी। अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की तारीख को छप्पन वर्ष से अधिक नहीं होगी।</p> <p>टिप्पण 3 : पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।</p>		
--	--	--

[फा.सं.डीएफएसएस/04(05)/2019]

नरेंद्र कुमार, अवर सचिव

New Delhi, the 13th October, 2021

G.S.R. 115.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the methods of recruitment to the post of Assistant Director (Administration), Group 'A', in the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, namely :-

1. Short title and commencement.—

- (1) These rules may be called the Ministry of Home Affairs, Directorate of Forensic Science Services, Assistant Director (Administration), Group 'A' Recruitment Rules, 2021.
- (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and level in the pay matrix.— The number of post, its classification and the level in pay matrix attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the aforesaid Schedule.

3. Method of recruitment, age-limit and qualifications, etc.— The method of recruitment, age-limit, qualifications and other matters relating to the said post shall be as specified in columns (5) to (13) of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification.— No person, -

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post:

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving.— Nothing in these rules shall affect reservation, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Level in the Pay Matrix	Whether selection post or non-selection post
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Assistant Director (Administration)	01*(2021) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service Group 'A', Gazetted, Ministerial	Level 11 in the pay matrix (Rs. 67700-208700/-)	Selection Post

Age limit for direct recruits	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation, if any	Method of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/ absorption and percentage of the vacancies to be filled by various methods
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years for promotees.	100 % by promotion failing which by Deputation.

In case of recruitment by promotion/deputation/ absorption grades from which promotion/deputation/absorption to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission to be consulted in making recruitment.
11	12	13
<p>Promotion:</p> <p>Administrative Officers of Directorate of Forensic Science Services in Level -7 (Rs. 44900-142400/-) of the Pay Matrix with Seven years' regular service in the grade and have successfully completed 2-4 weeks training in the relevant field from Institute of Secretariat Training and Management.</p> <p>Note 1. Where juniors who have completed their qualifying or eligibility service are being considered for promotion, their senior would also be considered provided they are not short of the requisite qualifying or eligibility service by more than half of such qualifying or eligibility service or 2 years, whichever is less and have successfully completed their probation period for promotion to the next higher grade along with their juniors who have already completed such qualifying or eligibility service.</p> <p>Deputation:</p> <p>Officers in Central Government or State government or Union Territories:</p> <p>a) (i) Holding analogous post on a regular basis in their parent cadre or department; or</p> <p>(ii) with five years' of regular service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in Level -10 (56100-177500) in the Pay Matrix or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the essential qualifications prescribed as under:-</p> <p>(i) Graduate degree in any discipline from a recognised university.</p> <p>(ii) Five years experience of establishment, administration and accounts matter in a government Office/PSU/Autonomous body/statutory body/recognised university/research institute.</p> <p>Note 2.- Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organization/ department of the</p>	<p>Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Chairman / Member, Union Public Service Commission – Chairman; 2. Director-Cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services –Member; 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs – Member. <p>Group 'A' Departmental Confirmation Committee (for considering confirmation) consisting of:-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Director-Cum-Chief Forensic Scientist, Directorate of Forensic Science Services - Chairman; 2. Director, Central Forensic Science Laboratory, Directorate of Forensic Science Services –Member; 3. Director or Deputy Secretary, Ministry of Home Affairs – Member. 	<p>Consultation with Union Public Service Commission is necessary on each occasion.</p>

Central/State Government shall ordinarily not to exceed 4 years.		
The maximum age limit for appointment by deputation (including short term contract) shall be, not exceeding 56 years, as on the closing date of receipts of applications).		
Note 3.- The departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion shall not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.		

[F. No. DFSS/04(05)/2019]

NARENDER KUMAR, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 अक्टूबर, 2021

सा.का.नि.116.— राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय में उप निदेशक (न्यायालयिक विज्ञान), समूह 'क' पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम गृह मंत्रालय, न्यायालयिक विज्ञान सेवा निदेशालय, उप निदेशक (न्यायालयिक विज्ञान), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2021 है।
- (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर.— पद की संख्या, उसका वर्गीकरण, वेतन मैट्रिक्स में स्तर वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि.— उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (13) तक में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता.— वह व्यक्ति

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है; या,

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है, या विवाह की संविदा की है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियम के प्रवर्तन में छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति.— जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति.— इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर जारी किए गए, आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।